

प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 53/2021)

तत्काल जारी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने दिनांक 21.02.2020 को "दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय के लिए दिशानिर्देशों में सुधार" पर सिफारिशों का स्पष्टीकरण / पुनर्विचार जारी किया

नई दिल्ली, 27 नवंबर 2021 - भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 21.02.2020 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को "दूरसंचार लाइसेंस के हस्तांतरण / विलय के लिए दिशानिर्देशों में सुधार" पर अपनी सिफारिशें भेजी थीं। दूरसंचार विभाग ने अपने पत्र दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के माध्यम से कुछ सिफारिशों को पुनर्विचारित राय/सिफारिशों के लिए वापस संदर्भित किया था।

2. दूरसंचार विभाग द्वारा दिए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने सरकार को अपना जवाब प्रस्तुत किया है। सरकार को भेजा गया जवाब भादूविप्रा की वेबसाइट [www.trai.gov.in](http://www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

3. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री एस.टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से ईमेल [advmn@traigov.in](mailto:advmn@traigov.in) पर संपर्क किया जा सकता है।

व.र

(वी. रघुनंदन)  
सचिव, भादूविप्रा